

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :- प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.

(1) प्रकरण संख्या 03/2023 (राजसमन्द डिक्री)

1. शंकरलाल पिता चमनलाल जी ब्राहमण, निवासी भगवान्दा खुर्द, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
2. मु. भंवरी बेवा चमनलाल जी ब्राहमण, निवासी भगवान्दा खुर्द, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्तगण

बनाम

1. हितेश पिता शंकरलाल जी जोशी ब्राहमण, निवासी मोरचणा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमती प्रेरणा जोशी पत्नी हितेश जी जोशी ब्राहमण, निवासी मोरचणा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्रीमती कमला पुत्री चमनलाल जी ब्राहमण, निवासी भगवान्दा खुर्द, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्रीमती जशोदा पुत्री चमनलाल जी ब्राहमण, निवासी भगवान्दा खुर्द, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
5. श्रीमती हुलासी पुत्री चमनलाल जी ब्राहमण, निवासी भगवान्दा खुर्द, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
6. श्रीमती तुलसा पुत्री चमनलाल जी ब्राहमण, निवासी भगवान्दा खुर्द, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोंडेन्टगण

(2) प्रकरण संख्या 04/2023 (राजसमन्द डिक्री)

1. शंकरलाल पिता चमनलाल जी ब्राहमण, निवासी भगवान्दा खुर्द, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
2. मु. भंवरी बेवा चमनलाल जी ब्राहमण, निवासी भगवान्दा खुर्द, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्तगण

बनाम

1. हितेश पिता शंकरलाल जी जोशी ब्राहमण, निवासी मोरचणा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)



2. श्रीमती प्रेरणा जोशी पत्नी हितेश जी जोशी ब्राहमण, निवासी मोरचणा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्रीमती कमला पुत्री चमनलाल जी ब्राहमण, निवासी भगवान्दा खुर्द, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्रीमती जशोदा पुत्री चमनलाल जी ब्राहमण, निवासी भगवान्दा खुर्द, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
5. श्रीमती हुलासी पुत्री चमनलाल जी ब्राहमण, निवासी भगवान्दा खुर्द, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
6. श्रीमती तुलसा पुत्री चमनलाल जी ब्राहमण, निवासी भगवान्दा खुर्द, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पॉन्डेन्टगण

अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
का.अ.1955 विरुद्ध निर्णय उपखण्ड
राजसमन्द प्रारम्भिक डिक्री दिनांक
29.03.2016 व अंतिम डिक्री दिनांक
11.05.2016 प्रकरण संख्या 82/2014

--- / ---

उपस्थित :- 1. श्री अक्षय पालीवाल अभिभाषक अपीलान्तगण
2. श्री शेषमल गाडरी अभिभाषक रेस्पॉ.सं. 1, 2
3. श्री पैरोकार सरकार अभिभाषक रेस्पॉ. सं. 7

---::---

निर्णय

दिनांक 17-05-2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पॉन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम भगवान्दा खुर्द में वाद पत्र की कलम संख्या 1 "अ" की आराजी नंबर 30, 31, 34, 356/33 कुल किता 4 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा एवं कलम संख्या 1 "ब" की आराजी नंबर 211, 212, 213, 215 कुल किता 4 रकबा 1 बीघा 13 बिस्सा 10 बिश्वांसी भूमि स्थित है, जो पक्षकारान की सहखातेदारी की होकर वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का 1/2 हिस्सा है। उक्त भूमि का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन नहीं होने से भूमि विकास

में परेशानी आती है। अतः विवादित आराजियात का पक्षकारान के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29-03-2016 को वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी तत्पश्चात् प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 11-05-2016 को अंतिम डिक्री जारी की गयी।

उक्त प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 29-03-2016 से रूष्ट होकर अपीलान्त प्रतिवादी संख्या 1 व 6 द्वारा अपील संख्या 3/2023 तथा अंतिम डिक्री दिनांक 11-05-2016 के विरुद्ध अपील संख्या 4/2023 इस न्यायालय में दिनांक 13-01-2023 को प्रस्तुत की गई है।

अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री शेषमल गाडरी उपस्थित हुए। रेस्पोंडेन्ट संख्या 7 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दोनों ही अपीलें अधिनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण संख्या 82/2014 में पारित प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री के विरुद्ध होने तथा पक्षकारान समान होने से दोनों का एक ही निर्णय लिखाया जा रहा है। निर्णय की एक-एक प्रति संबंधित पत्रावली पर रखी जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्तगण को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थी। अपीलान्तगण वृद्ध होकर ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति होने से अपने अधिवक्ता के भरोसे रहे। माह दिसम्बर 2022 में जानकारी होते ही नकलें प्राप्त कर अविलम्ब अपीलें प्रस्तुत कर दी गयी हैं। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः अपीलें प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए दोनों अपीलें अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किये।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोंडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि दोनों ही अपीलें करीब 7 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं विलम्ब के जो कारण अपीलान्त/प्रार्थीगण द्वारा बताये गये हैं, वह न तो

उचित प्रतीत होते हैं एवं न ही पर्याप्त कारण है। अतः अपीलें बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज की जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्रों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 29-03-2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 11-05-2016 के विरुद्ध अपीलान्टगण द्वारा अपीलें इस न्यायालय में दिनांक 13-01-2023 को प्रस्तुत की गयी हैं, जबकि प्रारम्भिक डिक्री की अपील प्रस्तुत करने की समयावधि दिनांक 28-05-2016 एवं अंतिम डिक्री की अपील की समयावधि दिनांक 10-07-2016 थी। इस प्रकार दोनों ही अपीलें करीब 6½ वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गयी हैं एवं इतने अधिक विलम्ब को कण्डोन कराने हेतु जो कारण बताये हैं वह न तो उचित प्रकट होते हैं एवं न ही 6½ वर्ष से भी अधिक विलम्ब के लिए पर्याप्त कारण माने जा सकते हैं। तदनुसार दोनों अपीलें बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य हैं।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका में विभाजन की सहमति स्वरूप हस्ताक्षर नहीं है उसके बावजूद भी विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी, जो कानूनन उचित नहीं है। आदेशिका दिनांक 15-02-2016 में पत्रावली वास्ते तामिल नियत थी और प्रोसेस पेश करने हेतु रेस्पोंडेन्ट ने अवसर लिया, उसके बाद न्यायालय किसी कारणवश नहीं लगा और सीधे ही दिनांक 29-03-2017 को प्रारम्भिक डिक्री जारी करने के आदेश प्रदान कर दिये, जो कानूनन किसी प्रकार से उचित नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी द्वारा प्राप्त विभाजन योजना के संबंध में अपीलान्टगण को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया है इसलिए इस विभाजन योजना को कानूनन सही नहीं माना जा सकता। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री तथा अंतिम डिक्री निरस्त की जावे।

रेस्पोंडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने उक्त बहस का जवाब देते हुए कि अधिनस्थ न्यायालय ने रेकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित

करते हुए प्रारम्भिक डिक्री जारी की है तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री जारी की है, जो विधि सम्मत हैं। अतः दोनों अपीलें खारिज की जावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 में खाता संख्या 123 की आराजी नंबर 30, 31, 34, 356/35 कुल किता 4 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा में वादी संख्या 1 हितेश जोशी का 2/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का 1/3 हिस्सा दर्ज है एवं इसी प्रकार खाता संख्या 62 की आराजी नंबर 211, 212, 213, 215 कुल किता 4 रकबा 1 बीघा 13 बिस्सा 10 बिश्वांसी में वादी संख्या 2 श्रीमती प्रेरणा जोशी का 2/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का 1/3 हिस्सा दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान के मध्य उक्त दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है तत्पश्चात् प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः दोनों अपीलें बेरून मयाद होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाती हैं तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 29-03-2016 एवं अंतिम डिक्री 11-05-2016 यथावत रखी जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 17-05-2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील
(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.....मुकाम.....उदयपुर.....
व इजलासप्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.

शंकरलाल पिता चमनलाल जी ब्राहमण, बनाम हितेश पिता शंकरलाल जोशी ब्राहमण,
निवासी भगवान्दा खुर्द, तहसील व निवासी मोरचना, तहसील व जिला
जिला राजसमन्द व अन्य राजसमन्द व अन्य

अपील नं.....03/2023.....व नाराजगी डिगरी अदालतउपखण्ड अधिकारी.....
.....राजसमन्द..... मुकाम.....मुखर्चे.....29.....माह.....03.....2016

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....17.....माह.....05.....सन् 2024 रुबरू.....पक्षकारान
व हाजरी.....श्री अक्षय पालीवाल.....मिनजानिब अपीलान्त व.....श्री शेषमल गायरी
.....रेस्पोंडेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... अपील अपीलान्त
बेरून मयाद होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ
न्यायालय का निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री 29-03-2016 यथावत रखी जाती
है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये X.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... Xअदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....17.....माह.....05.....2024
को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्त	रु0	पै0	रेस्पोंडेन्ट	रु0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील.....		
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।

डिगरी व सीगे अपील
(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.....मुकाम.....उदयपुर.....
व इजलासप्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.

शंकरलाल पिता चमनलाल जी ब्राहमण, बनाम हितेश पिता शंकरलाल जोशी ब्राहमण,
निवासी भगवान्दा खुर्द, तहसील व निवासी मोरचणा, तहसील व जिला
जिला राजसमन्द व अन्य राजसमन्द व अन्य

अपील नं.....04 / 2023.....व नाराजगी डिगरी अदालतउपखण्ड अधिकारी.....
.....राजसमन्द..... मुकाम.....मुवर्खे.....11.....माह.....05.....2016

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....17.....माह.....05.....सन् 2024 रूबरू.....पक्षकारान
व हाजरी.....श्री अक्षय पालीवाल.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....श्री शेषमल गायरी
.....रेस्पोंडेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... अपील अपीलान्ट
बेरून मयाद होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ
न्यायालय का निर्णय एवं अंतिम डिक्री 11-05-2016 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये X.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... Xअदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....17.....माह.....05.....2024
को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोंडेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील.....		
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।